न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – गोपाल सैनी,(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध संख्या 103 / 2025
सीआईएस नंबर 07 / 2025

1. रामादेवी पत्नी अमरसिंह वर्मा उम्र 58 साल निवासी ग्राम मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर (राज.) ..... **प्रार्थिया**

बनाम

1. जितेन्द्र वर्मा पुत्र श्री अमरसिंह उम्र करीब 38 साल,
2. मनोज कुमार वर्मा पुत्र श्री अमरसिंह उम्र करीब 35 साल, निवासीगण मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर
3. रचना वर्मा पुत्री अमरसिंह पत्नी रमेश चन्द उम्र करीब 40 साल, हालवासी सौनोखर तहसील कांमा जिला डीग
4. शशी वर्मा पुत्री अमरसिंह पत्नी नागपाल उम्र करीब 39 साल हालवासी ग्राम सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर
5. नीतू वर्मा पुत्री अमरसिंह पत्नी संतोष उम्र करीब 30 साल हालवासी खोह दरीबा तहसील राजगढ़ जिला अलवर
6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लक्ष्मणगढ जरिए शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर
7. हर खास व आम सूचनार्थ

.... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

उपस्थिति

श्री भागचन्द जैन, श्री विष्णु साहू, अधिवक्ता प्रार्थिया की ओर से

श्री रामेश्वर दयालजैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 लगा. 5 की ओर से

श्री सुनील अग्रवाल, श्री श्यामसुन्दर गुप्ता, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 6 की ओर से

हर खास व आम की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय **दिनांक 02.04.2026**

1. प्रार्थिया रामादेवी की ओर से यह प्रार्थना पत्र भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत दिनांक 10.12.2025 को न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रार्थना पत्र के संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया के पति अमरसिंह पुत्र घीसाराम निवासी मौजपुर के रहने वाले थे जिनका बीमारी के कारण स्वर्गवास दिनांक 11.08.2024 को मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर में हो गया था जो अमरसिंह राजस्थान रोड़वेज विभाग अलवर में सर्विस करते थे तथा रिटायर्ड हो चुके थे।

3. प्रार्थिया मृतक अमरसिंह की बेवा है तथा दो लड़के क्रमशः जितेन्द्र व मनोज कुमार हैं व तीन लड़कियां रचना, शशी, नीतू हैं। प्रार्थिया के हक में मृतक अमरसिंह की जमा पूंजी भारतीय स्टेट बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ में जो जमा है उसके लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है। मृतक अमरसिंह के शेष वारिसान अप्रार्थी सं. 1 लगा. 5 को प्रार्थिया के हक में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी होने में कोई आपत्ति भी नहीं है। मृतक अमर सिंह का स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लक्ष्मणगढ में एक बचत खाता सं. 6103619 7263 है, जिस बचत खाता में मृतक अमरसिंह की कुल 15,62,558 रू. की राशि जमा है, ताईद में स्टेटमेन्ट की नकल पेश है। प्रार्थिया द्वारा उक्त बैंक में जाकर मृतक अमरसिंह की जमा राशि प्रार्थिया को दिये जाने अथवा मृतक अमरसिंह के सभी वारिसान को दिये जाने हेतु शाखा प्रबंधक से कई बार संपर्क किया लेकिन उन्होंने जमा राशि प्रार्थिया अथवा अन्य अप्रार्थीगण को नहीं दी तथा दिनांक 05.12. 2025 को जमा राशि लौटाने से मना कर दिया व सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी होने पर जमा राशि लौटाई जाने बाबत कहा गया। प्रार्थिया के पति की मृत्यु उपरान्त प्रार्थिया व अप्रार्थीगण 1 लगा. 5 ही उनकी जमा राशि को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, अन्य कोई वारिसान नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 5 को प्रार्थिया के हक में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी होने में कोई आपत्ति नहीं है। श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने के कारण मौजूदा प्रार्थना पत्र श्रीमान सक्षम न्यायालय में पेश किया है। उक्त आवेदन पत्र पर श्रीमान न्यायालय द्वारा आदेश किये जाने पर

वांछित कोर्ट फीस पेश कर दिये जावेंगे। अतः प्रार्थना पत्र वांछित अनुसार स्वीकार किये जाने की कृपा करें।

4. अप्रार्थीगण 1 लगा. 5 की ओर से इकबाल जवाब प्रस्तुत कर मुख्य रूप से अभिकथित किया है कि मृतक अमरसिंह हम अप्रार्थीगण का पिता व प्रार्थिया का पति था जिसका स्वर्गवास निांक 11.08.2024 को मौजपुर में हुआ था। मृतक अमरसिह के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लक्ष्मणगढ में बचत खाता में जमा राशि 15,62,558 रू. को प्राप्त करने हेतु हमारी माता प्रार्थिया रामादेवी के नाम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने में हमें आपत्ति व एतराज नहीं है।

5. अप्रार्थी सं. 6 बैंक की ओर से जवबा प्रस्तुत कर मुख्य रूप से अभिकथित किया कि अमरसिंह के नाम खाता संख्या 61036197263 भारतीय स्टेट बैंक शाखा लक्ष्मणगढ में स्थित है जिसमें कुल रकम 15,72,297.50 रूपए जमा हैं। उक्त बचत खाता में कोई नोमिनी दर्ज नहीं है, खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए आर. बी.आई. के निर्देशानुसार यदि उक्त खाते में नोमिनी दर्ज नहीं है तो उस स्थिति में खाते में जमा रकम को बिना सक्षम अदालत का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी हुए बिना भुगतान नहीं किया जा सकता है।

6. प्रार्थिया द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार हर आम व खास की सूचनार्थ राजस्थान पत्रिका के अलवर संस्करण दिनांक 13 फरवरी 2026 में अखबार साया करवाया गया, तत्पश्चात हर आम व खास की ओर से उक्त प्रकरण में नियत तारीख पेशी दिनांक 25.02.2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर हर आम व खास की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

7. चूंकि प्रकरण में अप्रार्थीगण 1 लगा. 5 की ओर से इकबाल जवाब प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रकरण में विवाद्यक विरचित नहीं किये गये। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि :—

(1) आया प्रार्थिया मृतक अमरसिंह पुत्र घीसराम वर्मा निवासी मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर के भारतीय स्टेट बैंक शाखा लक्ष्मणगढ में स्थित बचत खाता संख्या 61036197263 में जमा राशि प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाने की अधिकारिणी है ?

प्रार्थिया

8. बहस सुनी गयी एवं पत्रावली व संबंधित विधि का अवलोकन किया गया।

9. हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थिया रामादेवी की ओर से इस न्यायालय के समक्ष

बाबत जारी किये जाने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 10.120.2025 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों के अनुसार प्रार्थिया रामादेवी मृतक अमरसिंह पुत्र घीसाराम निवासी मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर की पत्नी होना तथा मृतक अमरसिंह के दो लड़के क्रमशः जितेन्द्र व मनोज कुमार व तीन लड़कियां रचना, शशी, नीतू होना तथा मृतक अमरसिंह का बीमारी के कारण दिनांक 11.08.2024 को मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर में स्वर्गवास होना एवं मृतक अमरसिंह की भारतीय स्टेट बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ के बचत खाता संख्या में 61036197263 में 15,62,558.50 रूपए जमा होना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज रामादेवी के आधार कार्ड की प्रति व मृतक अमरसिंह के आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड, मृतक अमरसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति व अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रकट होता है। चूंकि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा. 5 जो कि मृतक अमरसिंह के पुत्र व पुत्रियां हैं तथा प्रार्थिया रामादेवी मृतक अमरसिंह की पत्नी होना प्रकट होता है तथा मृतक अमरसिंह का अन्य कोई वारिसान होना पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से प्रकट नहीं होता है। साथ ही मृतक अमरसिंह की एसबीआई शाखा लक्ष्मणगढ़ में उक्त बचत खाते में जमा राशि के बाबत प्रार्थिया द्वारा अखबार में प्रकाशन भी करवाया गया है, किन्तु उसके बावजूद हर खास व आम की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति व एतराज न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 5 की ओर से प्रार्थिया के पक्ष में इकबाल जवाब प्रस्तुत कर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति, एतराज नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है तथा प्रार्थिया के अभिवचनों पर अविश्वास किये जाने का भी कोई कारण अभिलेख पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया रामादेवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

10. परिणामतः प्रार्थिया रामादेवी पत्नी अमरसिंह वर्मा उम्र 58 साल निवासी ग्राम मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर (राज.) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम विरूद्ध जितेन्द्र वर्मा व अन्य, स्वीकार किया जाकर उपरोक्त प्रार्थिया को मृतक अमरसिंह वर्मा पुत्र घीसाराम वर्मा निवासी

मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज0) के भारतीय स्टेट बैंक शाखा लक्ष्मणगढ स्थित बचत संख्या 61036197263 में जमा राशि 15,62,558 रूपए का भुगतान प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रार्थिया की ओर से नियमानुसार न्याय शुल्क अदा करने पर जारी हो।

नोट – भविष्य में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के संबंध में अन्य कोई दावेदारी उत्पन्न करता है तो उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी प्रार्थी की रहेगी।

(गोपाल सैनी)

11. निर्णय आज दिनांक 02.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल सैनी)